कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 25.08.2021

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल - 10 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. अनोज कुमार पुत्र गजाधर नि0 नैपुरिया मौजा दुल्हापुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 212/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल, जनपद गोण्डा दिनांक 25.08.2021

जनपद लखनऊ के थाना गुडम्बा से हत्या के प्रयास का वांछित अभियुक्त अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त विकास सिंह उर्फ आकाश ठाकुर पुत्र स्व0 जयपाल सिंह नि0 हरिहरपुर थाना कमलापुर जनपद सीतापुर को 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त एक शातिर अपराधी है, जो हत्या के प्रयास में जनपद लखनऊ के थाना गुडम्बा में पंजीकृत मु0अ0सं0-107/21, धारा 147,148,149,307 भादवि में वांछित चल रहा था। अभियुक्त के विरुद्ध गिरफ्तारी व बरामदगी के तहत सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

01. विकास सिंह उर्फ आकाश ठाकुर पुत्र स्व0 जयपाल सिंह नि0 हरिहरपुर थाना कमलापुर जनपद सीतापुर।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-138/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

अभियुक्त विकास सिंह उर्फ आकाश ठाकुर का अपराधिक इतिहास-

- 01. मु0अ0सं0- 107/21, धारा 147,148,149,307 भादवि0 थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ।
- 02. मु0अ0सं0- 112/21, धारा 27(1)/25 आर्म्स एक्ट थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ।

बरामदगी-

01. 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 जिंदा कारतूस।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 दिलीप कुमार उपाध्याय मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल, जनपद गोण्डा दिनांक 25.08.2021

दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के वांछित अभियुक्त मो0 आदिल को गिरफ्तार कर लिया। उक्त अभियुक्त ने थाना कटराबाजार क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता की मां द्वारा थाना कटराबाजार में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मो0 आदिल पुत्र रज्जब अली नि0 वार्ड संख्या 08 पठान टोला करूबा व थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 222/21, धारा 452,376,504,506 भादवि, ¾ पाक्सो एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. प्रभारी निरीक्षक कटराबाजार बृजेश कुमार पाण्डेय मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल, जनपद गोण्डा दिनांक 25.08.2021

गैरइरादतन हत्या करने के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस ने गैरइरादतन हत्या करने के 02 वांछित अभियुक्तों- 01. छेदी नाऊ, 02. राजेन्द्र प्रसाद को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तों ने दिनांक 17.07.2021 को जमीनी विवाद के चलते वादी दलजीत कुमार पुत्र काशीप्रसाद नि0 भवनियापुर उपध्याय थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के पिता को लाठी-डण्डों से मारा-पीटा था। जिससे वादी के पिता गंभीर रुप से घायल हो गये थे जिनकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 01. छेदी नाऊ पुत्र राममूरत नि0 भवनियापुर उपध्याय थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
- 02. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र छेदी नाऊ नि0 भवनियापुर उपध्याय थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 222/21, धारा 323,324,504,304 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 शादाब आलम मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट <u>मीडिया सेल, जनपद गोण्डा</u> <u>दिनांक 25.08.2021</u>

चोरी के माल के साथ अभियुक्ता गिरफ्तारः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों/चोरो की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना करनैलगंज पुलिस ने मु0अ0सं0-299/21, धारा-380,504,506,411 भादिव से सम्बन्धित अभियक्ता- सोनम सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का समान बरामद किया गया। उक्त अभियुक्ता ने गांव की ही रहने वाली वादिनी नीलम सिंह के घर से जेवरों की चोरी की थी। जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा थाना करनैलगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्ता-

01. सोनम सिंह पुत्री चंद्रभान सिंह नि0 मौहर थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 299/21, धारा 380,504,506,411 भादवि थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद सोने की अँगूठी।

02. 01 अदद सोने की चेन।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 प्रदीप कुमार गंगवार मय टीम।